classmate
Date
Page

DATE: 29/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT ~~& POLITICS~~)

CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)

LECTURE NO.-22

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

न्यायिक सक्रियतावाद का आशय

न्यायिक सक्रियतावाद का आशय है कि "संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक - आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जन साधारण के हितों की रक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना।"

न्यायिक सक्रियतावाद के अन्तर्गत यह बात सम्मिलित है कि जन सामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना और शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायपालिका का दायित्व है। इसके पक्षधर न्यायाधीश पी० एन० भगवती ने 1982 में कहा था, "सर्वोच्च न्यायालय ने विगत दो वर्षों में देश में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण अपना लिया है।"

1980 से न्यायिक सक्रियता में निरन्तर वृद्धि ही हुई है। मई 2010 में एच० एच० कपाड़िया के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद ग्रहण

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

के बाद इसमें और वृद्धि हुई। फरवरी 2012 ई० में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा दूर-संचार के क्षेत्र में दिए गए 122 लाइसेंस रद्द कर दिए और सरकार को निर्देश दिया कि 'खुली नीलामी की प्रक्रिया' को अपनाते हुए नये लाइसेंस जारी करें।

परम्परागत रूप में यह सोचा जाता रहा है कि न्यायपालिका की राज व्यवस्था में मात्र निषेधात्मक भूमिका ही प्राप्त है, लेकिन 'न्यायिक सक्रियतावाद' के आधार पर, न्यायपालिका को निषेधात्मक भूमिका के साथ-साथ एक सकरात्मक भूमिका, वस्तुतः एक रचनात्मक भूमिका प्राप्त हो जाती है। इसी आधार पर कुछ विद्वान 'न्यायिक सक्रियतावाद' के स्थान पर 'न्यायिक रचनात्मकता' या 'न्यायपालिका की रचनात्मक भूमिका' शब्दों का प्रयोग करते हैं।

सम्भावित प्रश्न :

न्यायिक सक्रियतावाद का आशय क्या है?

× —— × —— × —— ×

Scanned with CamScanner